

16 ज़िलों के 8 हज़ार 108 ग्राम अभावग्रस्त घोषित

चर्चा में क्यों?

16 मार्च, 2023 को राज्य सरकार ने एक अधिसूचना जारी कर 16 ज़िलों के 8 हज़ार 108 ग्राम अभावग्रस्त घोषित कर दिये। यह अधिसूचना 31 मार्च, 2023 तक लागू रहेगी।

प्रमुख बदि

- ज़िला कलेक्टरों से प्राप्त खरीफ फसल 2022 (संवत् 2079) नियमति एवं वशिष गरिदावरी रिपोर्ट के आधार पर बाढ से फसल खराब होने पर किसानों को राहत प्रदान करने के लयि इन ज़िलों के ग्रामों के लयि के लयि अधिसूचना जारी की गई है।
- आपदा प्रबंधन, सहायता एवं नागरिक सुरक्षा वभिग द्वारा जारी अधिसूचना के अनुसार झालावाड़ ज़िले के 1597 ग्राम, बारां के 1231, भरतपुर के 957, कोटा के 766, बाँसवाड़ा के 717 तथा टोंक ज़िले के 716 ग्रामों को राहत प्रदान की गई है।
- इसी प्रकार प्रतापगढ़ ज़िले के 625, बूंदी के 517, नागौर के 347, उदयपुर के 274, अजमेर के 227, धौलपुर के 58, जोधपुर के 47, सवाई माधोपुर के 14, करौली के 13 तथा श्रीगंगानगर के 02 ग्रामों को राहत प्रदान की गई है।

PDF Refernece URL: <https://www.drishtias.com/hindi/printpdf/8-thousand-108-villages-of-16-districts-have-been-declared-deficient>